

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) विधेयक, २०२२

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नौ हजार सात सौ चौरासी करोड़ पचानवे लाख ग्यारह हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ९७,८४,९५,९९,००० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३००	३००
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	१००	१००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	४०,८२,२०,३००	०	४०,८२,२०,३००
००२.	विमानन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००३.	गृह	राजस्व	६६,३४,२०,७००	०	६६,३४,२०,७००
		पूंजी	३,००,२०,००,०००	०	३,००,२०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
००४.	पर्यावरण	राजस्व ३००	०	३००
००५.	जेल	राजस्व ५०,००,०००	०	५०,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व १,९६,५८,८१,४००	०	१,९६,५८,८१,४००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व ३००	८९,०६,००,०००	८९,०६,००,३००
०१०.	वन	राजस्व ४,४७,०८,६००	८०,००,०००	५,२७,०८,६००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व ७,५०,००,००,००० पूंजी ६००	०	७,५०,००,००,००० ६००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व ११,००,००,००,३००	०	११,००,००,००,३००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व ३,१२,४३,०००	०	३,१२,४३,०००
०१५.	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व ३४,५०,१००	०	३४,५०,१००
०१७.	सहकारिता	राजस्व ३८,००,००,०००	०	३८,००,००,०००
०१८.	श्रम	राजस्व ३,००,००,००,१००	०	३,००,००,००,१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	३,५६,००,०००	०	३,५६,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	१,५१,००,००,०००	०	१,५१,००,००,०००
	पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व	७,६०,२०,१००	०	७,६०,२०,१००
	पूंजी	४,००,५२,०१,४००	०	४,००,५२,०१,४००
०२३	जल संसाधन			
	राजस्व	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
	पूंजी	५,००,००,००,०००	२८,००,००,०००	५,२८,००,००,०००
०२४	लोक निर्माण कार्य			
	राजस्व	१,८५,००,००,६००	०	१,८५,००,००,६००
	पूंजी	१०,०९,६०,००,९००	३५,००,००,०००	१०,४४,६०,००,९००
०२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	४५,००,००,१००	१,१३,०५,१०,३००	१,५८,०५,१०,४००
	पूंजी	२,५५,००,००,०००	०	२,५५,००,००,०००
०२६	संस्कृति			
	राजस्व	२,४०,००,०००	०	२,४०,००,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा			
	राजस्व	३,२५,००,३००	०	३,२५,००,३००
०२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
०२९	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	१,१९,६९,९०,२००	०	१,१९,६९,९०,२००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०३०	ग्रामीण विकास		
	राजस्व	८३,७१,००,४००	०
	पूंजी	१००	०
०३१	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी		
	राजस्व	८१,७७,८९,६००	०
	पूंजी	१,५३,१५,००,०००	०
०३२	जनसंपर्क		
	राजस्व	१०,००,००,०००	०
०३३	जनजातीय कार्य		
	राजस्व	४,४५,२२,००,४००	०
	पूंजी	१५,००,००,०००	०
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण		
	राजस्व	७५,५३,३१,०००	०
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		
	राजस्व	४६,६९,१००	३०,०००
	पूंजी	२६,००,०००	०
०३६	परिवहन		
	राजस्व	७०,००,०००	०
०३७	पर्यटन		
	राजस्व	१००	०
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.		
	राजस्व	६,६६,४००	०
०४०.	पंचायत		
	राजस्व	३००	०
०४१.	प्रवासी भारतीय		
	राजस्व	२०,००,००,०००	०

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राजस्व	१४,००,०००	०	१४,००,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	पूंजी	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	४२,१६,००,१००	०	४२,१६,००,१००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व	६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	१,६५,००,६००	०	१,६५,००,६००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	७९,२९,७२,७००	०	७९,२९,७२,७००
		पूंजी	४००	०	४००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१,३०,७०,००,५००	०	१,३०,७०,००,५००
		पूंजी	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,७४,०१,११,०००	०	१,७४,०१,११,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१००	०	१००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	९९,२०,००,१००	०	९९,२०,००,१००

